

Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), कोण्डागांव को कोण्डागांव जिले के कोण्डागांव वनमंडल के दहीकोंगा परिक्षेत्र में संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 795, 794, 777 एवं आर. एफ. 793 में से 9.304 हे. वन भूमि में कोण्डागांव बाईपास मार्ग निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन की राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

Date : 22-12-2022

Place : Raipur

Name

Designation


 (Manoj Kumar Pingua)
 Principal Secretary
 Government of Chhattisgarh
 Deptt. of Forest & Climate Change
 Mantralaya, Nawa Raipur

C.G. Govt.,

Forest & Climate Change Department

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5-24/2022/10-2
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 26/12/2022

वनमहानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़ 492015 ।

विषय:— कोण्डागांव जिले के दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल, अंतर्गत दहीकोंगा परिक्षेत्र में संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 795, 794, 777 एवं आर.एफ 793 में से 9.304 हे. क्षेत्र में कोण्डागांव बाईपास मार्ग निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव ।

संदर्भ:— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-738/2794, दिनांक 06.12.2022 ।

—00—

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :—

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), जिला कोण्डागांव द्वारा कोण्डागांव वनमंडल के दहीकोंगा परिक्षेत्र में संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 795, 794, 777 एवं आर. एफ. 793 में से 9.304 हे. वन भूमि में कोण्डागांव बाईपास मार्ग निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है ।	1
2	प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) — वनमंडलाधिकारी दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक —FP/CG/ROAD/ 29577/ 2017 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 22.06.2018 के आधार पर की जाती है । पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 18000 रुपये जमा कराया गया है ।	2
3	वन क्षेत्र का विवरण — दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल दहीकोंगा परिक्षेत्र में संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 795, 794, 777 एवं आर.एफ 793 में से 9.304 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है ।	3
4	गैर वन क्षेत्र का विवरण — प्रस्तावित कोण्डागांव बाईपास मार्ग निर्माण हेतु दक्षिण कोण्डागांव वन मंडल अंतर्गत 17.379 हे. गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है ।	4 — 7
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर — प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है ।	8 — 9
6	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप — वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप संलग्न है ।	10 — 17

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
7	प्रपत्र - 4 में प्रस्ताव - प्रपत्र-4 में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 9.304 हे. वन भूमि के लिए परियोजना की प्रशासकीय लागत 70.08 करोड़ बतायी गई है। प्रस्तावित क्षेत्र का घनत्व 0.2 से 0.6 है।	18 - 24
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप - प्रस्तावित वन भूमि संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 795, पी 794, पी 777 एवं आर.एफ. 793 में से 9.304 हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग (भ./स.) कोण्डागांव संभाग कोण्डागांव द्वारा कोण्डागांव बाईपास निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित है। चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-30 जो कि कोण्डागांव से होकर गुजरती है। इस मार्ग में भारी वाहनों का आवागमन निरंतर जारी रहता है, जो कि कोण्डागांव से होकर गुजरता है जिसके चलते शहर में आवागमन बाधित रहता है। अतः यातायात सुरक्षा एवं बाधारहित मार्ग स्वचालन हेतु बाईपास मार्ग निर्माण किये जाने की आवश्यकता है।	25 - 26
9	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र - यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।	27
10	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र - प्रस्तावित वन भूमि संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 795, पी 794, पी 777 एवं आर.एफ. 793 में से 9.304 हे. वन भूमि कोण्डागांव बाईपास मार्ग निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित है। उक्त मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि की मांग न्यूनतम है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी एवं आवेदक विभाग का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	28
11	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र - लोक निर्माण विभाग (भ./स.) कोण्डागांव संभाग, कोण्डागांव द्वारा कोण्डागांव वनमंडल के प्रस्तावित वन भूमि संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 795, पी 794, पी 777 एवं आर.एफ. 793 में से 9.304 हे. वन भूमि कोण्डागांव बाईपास मार्ग निर्माण कार्य हेतु वन क्षेत्र प्रस्तावित हो रहा है। अतः पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी एवं आवेदक विभाग का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	29
12	वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र - अ एवं ब में) - दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल दहीकोंगा परिक्षेत्र में संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 795, 794, 777 एवं आर.एफ. 793 में से 9.304 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु 321 वृक्षों का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है।	30 - 32
13	कास्ट, बेनिफिट एनालिसिस - प्रस्तावित परियोजना 20.00 हे. से कम होने के कारण परियोजना का कास्ट बेनीफिट एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है। वनमंडलाधिकारी, दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	33
14	चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल/मानचित्र/सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश)-राजस्व वन क्षेत्र - क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण के लिए तहसील कोण्डागांव के ग्राम आदनार में राजस्व वन भूमि खसरा नं. 1/1 में कुल रकबा 38.019 हे. में से 18.608 हे. भू-खण्ड सिंचित वृक्षारोपण के लिए चयन किया गया है। जिसका परियोजना प्रतिवेदन एवं चयनित भू-खण्ड का अधिसूचना प्रस्ताव तथा कलेक्टर कोण्डागांव का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	34 - 41
15	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा - प्रकरण में प्रभावित 17.379 हे. गैर वन क्षेत्र के आस-पास का नक्शा प्रस्ताव में संलग्न है।	42 - 46
16	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना - आवेदित वन भूमि 9.304 हे. वन क्षेत्र के एवज में क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण के लिए तहसील कोण्डागांव के ग्राम आदनार में राजस्व वन भूमि खसरा नं. 1/1 में कुल रकबा 38.019 हे. में से 18.608 हे. भू-खण्ड सिंचित वृक्षारोपण (शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर 25 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ 10 वर्षीय मय उपचार मानचित्र अक्षांश, देशांश प्रजाति विवरण सहित) योजना तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न है।	47 - 78

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
17	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र — आवेदित वन भूमि 9.304 हे. वन क्षेत्र के एवज में क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण के लिए तहसील कोण्डागांव के ग्राम आदनार में राजस्व वन भूमि खसरा नं. 1/1 में कुल रकबा 38.019 हे. में से 18.608 हे. भू-खण्ड में सिंचित वृक्षारोपण हेतु वनमंडलाधिकारी, दक्षिण कोण्डागांव वन मंडल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	79 — 80
18	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण — वनमंडलाधिकारी दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।	81
19	अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण — बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में निरंक है।	82
20	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही — बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में निरंक है।	83
21	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र — कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), जिला कोण्डागांव द्वारा कोण्डागांव वनमंडल के दहीकोंगा परिक्षेत्र में संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 795, 794, 777 एवं आर.एफ 793 में से 9.304 हे. वन भूमि में कोण्डागांव बाईपास मार्ग निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	84 — 85
22	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान — कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), जिला कोण्डागांव द्वारा कोण्डागांव वन मंडल के दहीकोंगा परिक्षेत्र में संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 795, 794, 777 एवं आर.एफ 793 में से 9.304 हे. वन भूमि में कोण्डागांव बाईपास मार्ग निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्तावित है। अतः कैचमेंट, ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है।	86
23	रिक्लेमेशन प्लान — कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), जिला कोण्डागांव द्वारा कोण्डागांव वन मंडल के दहीकोंगा परिक्षेत्र में संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 795, 794, 777 एवं आर.एफ 793 में से 9.304 हे. वन भूमि में कोण्डागांव बाईपास मार्ग निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्तावित है। अतः रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	87
24	माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) — प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	88
25	व्यवस्थापन प्लान — प्रस्ताव किसी को उक्त क्षेत्र में से हटाया नहीं गया है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	89
26	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) — प्रपत्र-3 पर वनमंडलाधिकारी, दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल द्वारा दिनांक 30.06.2022 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वनमंडलाधिकारी दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल के अनुशंसा से मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त द्वारा दिनांक 03.11.2022 से भाग-3 पर अनुशंसा की गई है।	90 — 101
27	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र — व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित लोक निर्माण विभाग (भ./स.), जिला कोण्डागांव द्वारा कोण्डागांव वनमंडल के दहीकोंगा परिक्षेत्र में संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 795, 794, 777 एवं आर.एफ 793 में से 9.304 हे. वन भूमि में कोण्डागांव बाईपास मार्ग निर्माण के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र पर कोई ऐतिहासिक स्थल नहीं है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी, दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल का प्रमाण पत्र संलग्न है।	102

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
28	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित ग्राम पल्लारी, ग्राम डोंगरीगुड़ा, ग्राम खुबडोंबरा (कोकोडी) एवं ग्राम चिखलपुट्टी क्षेत्र के वन भूमि एवं निजी भूमि से होकर गुजरेगा। तत्संबंध में ग्राम पंचायत पल्लारी तहसील कोण्डागांव जिला कोण्डागांव द्वारा ग्राम सभा बैठक कर सर्व सहमति से बाईपास मार्ग निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। तदाशय का सरपंच ग्राम पंचायत पल्लारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	103 – 114
29	जिले की कुल वन भूमि(रकबा हे. में)– कोण्डागांव जिले का कुल वन भूमि 4084.077 वर्ग कि.मी. है।	115
30	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में – कोण्डागांव जिले में कुल स्वीकृत प्रकरण में 691.304 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है। वन भूमि का विवरण संलग्न है।	116
31	व.स.अ.1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में– कोण्डागांव जिले में इस श्रेणी के एक भी वन भूमि व्यपवर्तन प्रकरण स्वीकृत नहीं किया गया है।	117
32	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह /मूर्ति न होने की जानकारी – कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), जिला कोण्डागांव द्वारा कोण्डागांव वनमंडल के दहीकोंगा परिक्षेत्र में संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 795, 794, 777 एवं आर.एफ 793 में से 9.304 हे. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. के परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण्य स्थित नहीं है अथवा प्रस्तावित भी नहीं है एवं न ही किसी प्रकार का ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह अथवा मूर्ति है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल का एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	118
33	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन – खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	119
34	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र – वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर जिला कोण्डागांव का दिनांक 12.10.2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	120 – 143
35	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र – आवेदित क्षेत्र में राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है। अतः कलेक्टर कोण्डागांव का राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	144
36	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।	145 – 146
37	Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	147
38	A detailed note on Soil Productivity or the lack of it – आवेदित क्षेत्र में भूमि की दशा प्रायः रेतीली, दूमट एवं कंकरीली भूमि मिट्टी है। भूमि की दशा प्राकृतिक (Geo Ecological) कारणों से है। कृषि विभाग कोण्डागांव द्वारा प्राप्त जानकारी प्रस्ताव में संलग्न है।	148 – 149
39	परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र – वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है ऐसा प्रमाण पत्र यूजर एजेंसी एवं वन मंडलाधिकारी दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल के द्वारा दिया गया है।	150
40	Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 – केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।	151

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
41	पंजीयन क्रमांक — पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण — बिन्दु क्रमांक —2 पर विस्तृत विवरण दिया गया है।	152 — 154
42	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत — प्रस्तावित परियोजना हेतु आवश्यक नहीं है। तदाशय का आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन संलग्न है।	155
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण — प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन से संबंधित नहीं होने के कारण लागू नहीं होगा। तदाशय का वनमंडलाधिकारी, दक्षिण कोण्डागांव एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।	156
44	प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण — संलग्न है।	157 — 159

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरूप सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र-4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र-5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर उचित कार्यवाही करने का अनुरोध है।

संलग्न: — प्रस्ताव 1 प्रति में।

Rajul
(कै.पी.राजपूत)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 26/12/2022

पृ.क्रमांक एफ 5-24/2022/10-2

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ़।
 2. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
 3. वनमंडलाधिकारी, दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल, छत्तीसगढ़।
 4. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

Rajul

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

06